राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

विस्तृत निर्देश

(विज्ञापन संख्या-01/2020)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या 01/2020 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत Cold Chain Technician के संविदागत पदों पर चयन/नियोजन के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हैं, से Online आवेदन आमंत्रित किये गये हैं :-

S. No.	Name of Post	Total No. of Posts	Salary (Per Month)	Age (As on 1st January, 2020)	Eligibility Criteria
1	Cold Chain Technician	(30) UR – 8, UR(F)-6, EWS-2, EWS(F)-1, MBC-3, MBC(F)-1, SC-3, SC(F)-1, BC-2, BC(F)-1, ST-1, WBC-1	Rs. 15,000	Unreserved / EWS – 37, Unreserved / EWS (Female) – 40, BC / MBC (Male & Female) - 40, SC / ST (Male & Female) – 42 10 years relaxation in age will be admissible to Divine Body applicant.	**Essential Qualification** • Matriculation from any recognized board/institute. • MRAC Trade (Refrigerator) in ITI from any Government or Government recognized private training institution. **Preferred Experience** • Experience to keep and repair cold chain equipment in Govt. hospitals. **Desirable Skills** • Valid driving license of two wheeler. • Basic knowledge of computer.

निर्देशः–

1. उक्त पद हेतु TOR, विज्ञापन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website - www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है, जिसे download किया जा सकता है।
2. न्यूनतम आयु–दिनांक 01.01.2020 को न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष।
3. उक्त सभी पदों हेतु आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए Cut off Date- 01.01.2020 होगी।
4. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- **www.statehealthsocietybihar.org** के HR/Careers Link पर क्लिक कर के दिशा–निदेश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु TOR एवं सामान्य निदेश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
5. उक्त पदों हेतु Online आवेदन समर्पित करने से संबधित तिथि :–

1	Online आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	10/02/2020 (10 बजे पूर्वाहन से)
2	आवेदन शुल्क भुगतान करने की तिथि	10/02/2020 (10 बजे पूर्वाहन से)
3	Online आवेदन भरने की अंतिम तिथि	02/03/2020 (6.00 बजे अपराह्न तक)
4	आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	02/03/2020 (6.00 बजे अपराह्न तक)

6. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य रहने पर संविदा अवधि का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने, में से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा।
7. संविदागत नियोजन के आधार पर किसी भी तरह का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।
8. आरक्षण :–

(i) आरक्षण सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन Online आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण–पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

(iv) उसी प्रकार, Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के पास जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(v) Online आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सके।

(vi) भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को Online आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण–पत्र एवं पहचान–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) नियोजन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

9. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- **www.statehealthsocietybihar.org** के HR/Careers Link पर क्लिक करके दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलम में अद्यतन passport size रंगीन फोटो (20kb to 100kb in jpg/jpeg/png format) एवं हस्ताक्षर (10kb to 100kb in jpg/jpeg/png format) में upload करना अनिवार्य होगा। Online आवेदन में upload किये जाने वाले passport size रंगीन फोटो की पाँच प्रति print कर सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

10. उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं Online आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निदेश का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे तथा Online आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं इसमें किसी भी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेवार नहीं होगी।

    Online आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. संसूचन मोड केवल E-Mail/SMS होगा। इस प्रकार अभ्यर्थी Online आवेदन समर्पित करते समय Active e-mail ID एवं Mobile Number इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। e-mail ID एवं Mobile Number गलत रहने पर संसूचन नहीं हो पाने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी।

12. Online आवेदन समर्पित करने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर, प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।

13. Internet व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने एवं समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि का इन्तजार नहीं करेंगे बल्कि अंतिम तिथि के पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।

14. आवेदन शुल्कः–

1. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking/Credit/Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त आवेदन शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंको द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंको द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

   आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित हैः–

कोटि	पुरूष	महिला
सामान्य	500	250
EWS/BC/MBC	500	250
SC/ST (Bihar Domicile)	250	250
दिव्यांग	250	250

2. वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional applicant fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित

किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

15 चयन का आधारः—

(i) इन पदों पर नियोजन हेतु Online प्राप्त आवेदन को विज्ञापित TOR के अनुरूप Shortlisting करते हुए provisional shortlisted अभ्यर्थियों में से नियमानुसार रिक्तियों के दस गुणा अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शैक्षणिक अधिभार अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार चयन किया जाएगा :—

Cold Chain Technician	
Matric	30 अंक
MRAC Trade (Refrigerator) in ITI (Flat)	45 अंक
Experience to keep and repair cold chain equipment in Govt. hospitals (5 marks per year, Maximum of 25 marks)	25 अंक
कुल	**100 अंक**

उपर्युक्त कंडिका (i) में उल्लेखित संकायों में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.3 के गुणक से गुणा कर के किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा संकाय में 50 प्रतिशत प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 X 0.3 = 15 अंक दिये जाएंगे।

किसी अभ्यर्थी को उक्त संकाय में ग्रेड अथवा CGPA अंक प्रदान किया गया हो और यदि संबंधित बोर्ड/संस्थान से संकाय की परीक्षा में ग्रेड अथवा CGPA अंक को प्रतिशत में Convert किया गया होगा तो उसी प्रतिशत को आधार बनाया जायगा, अन्यथा ग्रेड अथवा CGPA अंकधारी अभ्यर्थी को फ्लैट रेट से 50% अंक निर्धारित किया जाएगा, जो न्यूनतम अर्हतांक माना जाएगा।

16. विज्ञापित पद की रिक्ति की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति उक्त पदों या कोटिवार रिक्ति की संख्या या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त सभी पद या कोई एक पद को बिना किसी सूचना के समाप्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार